27/12/24

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है —

* प्रार्थी अमरचन्द गोयल द्वारा एक प्रार्थनापत्र इस आशय प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी एक भूतपूर्व सैनिक है तथा प्रार्थी को सैनिक कोटे से कृषि भूमि 1972 में आवंटित हुई थी। सेटलमेंट से पूर्व खाता जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 तक खाता सं. 35 से खसरा नं. 40 रकबा 15 बीघा में अमरचन्द पुत्र कृपाराम कोटा गैरखातेदारी में दर्ज था। इसके बाद प्रार्थी का एक्सीडेन्ट हो गया और प्रार्थी कोमा में चला गया। लम्बे समय तक प्रार्थी का इलाज चलता रहा। इस कारण संवत् 2038-57 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम गैर खातेदारी में दर्ज नहीं है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की आराजी को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- प्रार्थी पत्र धारा 136 LR ACT में प्रस्तुत कर तहसीलदार लाडपुरा से जवाब प्राप्त किया।

- तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि -

  - सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी संवत 2033-2036 अनुसार खाता नं. 35 की खसरा नं. 40 रकबा 15 बीघा आराजी अमरचन्द पुत्र किरपाराम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। जो नामान्तरकरण सं. 51 से अमरचन्द की गैरखातेदारी में दर्ज हुई थी।

  - सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2038-57 ग्राम कोलाना में अमरचन्द पुत्र किरपाराम के नाम कोई भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं है।

  - वर्तमान में प्रार्थी अमरचन्द का किसी खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नहीं है।

- हमने पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा आवेदक के कथन पर मनन किया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जमाबन्दी संवत् 2033-36 तथा तहसीलदार

...वाही मय इनिशियल्स जज | ...अहकाम जो इस... तामील में जारी हुए

और यह प्रमाणित है कि सेटलमेंट पूर्व ग्राम कोलाना का खसरा नं. 40 रकबा 15 बीघा अमरचन्द पुत्र किशनाराम के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड था। प्रार्थी का कथन है कि इसके स्वयं बीमार होने व जेल में चले जाने के कारण वह अपनी भूमि की संभाल नहीं कर सका। लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने इस कथन को प्रमाणित करने हेतु कोई मेडीकल रिकॉर्ड इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा 2021 का मेडीकल बोर्ड ओपीनीयन की प्रति प्रस्तुत की है, जो समयावधि के अनुसार प्रार्थी के कथन का समर्थन नहीं करती।

+ पत्रावली में संलग्न तहसीलदार लाडपुरा के पत्र क्रमांक 6389 दिनांक 19/07/2022 से स्पष्ट होता है कि साविक ख.नं. 40 के हाल ख.नं. 15/1.70, 16/1.64, 17/16.95, 20/8.94 व 21/11.98 बने हैं। जो निम्नानुसार इन्द्राज रिकॉर्ड है -

ख.नं.	रकबा	नाम खातेदार
15	1.70	अनन्तशर्मा / अशोकशर्मा
16	1.64	शबाना आजमी / रहमान कुरैशी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी (कोटा)

तारीख हुक्म	...कार्यवाही मय इनिशियल्स...

17 16.95 सिवायचक (...)

20 8.94 सिवायचक (गै.मु. ...)

21 11.98 सिवायचक (बंजड़)

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी का किसी भी खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नहीं है।

* प्रार्थी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है।

* उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में भूमि पर कब्जा काश्त ना होने के कारण ही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हस्तगत आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है।

* उक्त परिस्थितियों में यह न्यायोचित था कि प्रार्थी भू-प्रबन्ध विभाग का सम्पूर्ण रिकार्ड प्राप्त कर उसके विरुद्ध अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करता। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान करने बाबत पर हस्तगत आराजी पर प्रार्थी के गैरखातेदार ही दर्ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

ना होने के कारण कोई भी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR ACT अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27/12/24.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★